departmental action has been initiated against the delinquent engineers.

(c) Yes, Sir. An amount of Rs. 7, 68, 000/- (approximately) is alleged to have been over-paid in 3 cases.

(d) After completion of preliminary investigation into one case the Chief Vigilance Commissioner has advised for major penalty proceedings against the concerned Superintending Engineer and minor penalty proceedings against the concerned Surveyor of works. In addition, action against the contractor for recovery of alleged over-payments has also been initiated.

Smuggling of Boys and Girls from Bangladesh

1565. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that young boys and girls are smuggled into India from Bangladesh border for immoral purposes; and

(b) if so, what are the details in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) The Government is aware that young women/girls are being smuggled into India across the Indo-Bangladesh border. However, no such case of smuggling of boys has come in notice.

(b) During the year 1989, three such cases involving 25 women/ girls were detected.

During the year 1990 (upto 15-5-90) one such case was detected involving six women/girls.

All the four cases have been registered with the local Police.

देश में बाई-पासों के लिए स्वीकृति देने में विलम्ब

1566. **श्री अजीत जोगी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदौर में बाई-पास के निर्माण की स्वीकृति दिये जाने के लिये मध्य प्रदेश के मुख्य अभियन्ता ने दिनांक 26 अगस्त, 1989 के अपने पत्र सं० 1110/एम-एच /आर०/89 द्वारा 3864 करोड़ रुपये का प्राक्कलन भारत सरकार को भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ;

(ग) बड़े शहरों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाई पास के निर्माण की स्वीकृति देने के लिये सरकार द्वारा क्या मापदंड अपनाये जाते हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि छोटे शहरों के लिये, जहां दुर्घटनाओं की संख्या नगण्य होती है, आसानी से स्वीकृति दे दी जाती है जबकि बड़े शहरों के लिये, जहां प्राय: प्रतिदिन लोग दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, स्वीकृति देने में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नी कृष्णन) :(क) और (ख) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश ने इंदौर के चारों ओर बाई पास के निर्माण के लिये 38.64 करोड़ रु. का प्राक्कलन भेज है। राष्ट्रीय राजमार्ग–3 पर इंदौर सिटी के चारों ओर 42.45 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 31.4 कि०मी० लम्बे प्रस्ताव बाई पास के प्रस्तावों को वित्तीय सहायता के लिये विश्व बैंक के समक्ष रखा गया है । विश्व बैंक को अभी अंतिम निर्णय लेना है । अत: अभी परियोजना को

स्वीकृति दिये जाने की तारीख बता पाना संभव नहीं है ।

(ग) उन मामलों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाई पासों के निर्माण पर विचार किया जाता है जहां सिटी की सीमाओं से होकर गुजरने वाली मौजूदा सड़क, उपलब्ध 30 मीटर से कम चौड़ी भूमि से अनुपयुक्त राष्ट्रीय राजमार्ग लिंक बनाती है और जहां भीड़-भाड़ की समस्यायें हों जिससे गुजरने वाली यातायात के निर्बाध प्रवाह में बाधा पड़ती हो ।

(घ) बड़े शहरों के लिये बाई पास परियोजनाओं में निहित खर्च अपेक्षाकृत अधिक होता है और भूमि अधिग्रहण, कुछ मामलों में वनों की सफाई उपयोगी सेवाओं को हटाना/स्थान बदलना, पर्यावरण परिरक्षण इत्यादि के संबंध में प्राधिकरणों की बहुलता के कारण परियोजनायें अपेक्षाकृत जटिल होती हैं । अत: ऐसी परियोजनाओं को अंतिम रूप देने और उनके वित्त पोषण में, छोटे शहरों की बाई-पास परियोजनाओं की तुलना में, अधिक समय लगता है ।

राष्ट्रीय परिवहन समिति की सिफारिशें

1567. **श्री अजीत जोगी :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय परिवहन समिति ने 1984 में यह सिफारिश की थी कि मध्य प्रदेश की सात सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया जाये परन्तु बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद भी उनमें से किसी भी सड़क को अभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के संबंध में सरकार की नीति क्या है और राष्ट्रीय परिवहन समिति की सिफारिशों को कितनी प्राथमिकता दी जाती है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नी कृष्णन) (क) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने मई, 1980 में 37 मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने की सिफारिश की थी जिन की कुल लम्बाई 12,955 कि०मी० है और जिनमें मध्य प्रदेश की नौ राज्य सड़कें शामिल हैं । इन सड़कों में से दो सड़कों अर्थात (i) जयपुर–कोटा–बियोरा (से भोपाल) और (ii) निजामुद्दीन–जगदलपुर को पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा चुका है । अन्य सड़कों को संसाधनों की कमी तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में शामिल नहीं किया जा सका ।

(ख) देश में नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा, राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों, संसाधनों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकताओं और इस संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों के अलावा निम्नलिखित मार्गदर्शी निर्देशों में रखकर की जाती है:—

(i) सड़कें जो पूरे देश से होकर गुजरती हैं ;

(ii) पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कें;

(iii) राज्य की राजधानियों को जोड़ने वाली सड़कें,

(iv) महापत्तनों और महत्वपूर्ण औद्योगिक अथवा पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कें,

(v) बहुत महत्वपूर्ण सामरिक जरूरतों को पूरा करने वाली सड़कें,

(vi) सड़कें जिनकी पर्याप्त लम्बाई में उच्च सघनता वाला ट्रैफिक चलता है, और

(vii) ऐसी सड़कें जिनसे यात्रा की दूरी में काफी कमी आयेगी और जिससे काफी किफायत होगी ।